राकेश कुमार बनाम पिंकी और अन्य

671

(अवनीश झिंगन, जे.)

अवनीश झिंगन के सामने , जे.

राकेश कुमार-अपीलार्थी

बनाम

पिंकी और अन्य-**2016** के प्रतिवादीगण एफ. ए. ओ. **No.5062**

14 मार्च, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, **1988-S-147-**संशोधन के बाद बीमाकर्ता की देयता-आम बेचने के लिए उसके द्वारा सवार ट्रक को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाने के कारण दावेदार के पति की मृत्यु हो गई-दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका ने बीमा कंपनी को इस आधार पर दायित्व से मुक्त कर दिया कि मृतक एक अनावश्यक यात्री के रूप में वाहन में यात्रा कर रहा था-मालिक द्वारा पसंद की गई अपील-माना जाता है, बीमाकर्ता माल के मालिक या परिवहन वाहन में माल के साथ यात्रा करने वाले उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मृत्यु या चोटों की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है-अपील की अनुमति है।

यह माना गया कि धारा 147 (1) (बी) (आई) में 'किसी भी व्यक्ति' के बजाय 'माल के मालिक या वाहन में ले जाए गए अधिकृत प्रतिनिधि सहित' शब्द जोड़ा गया था।

(पैरा 8) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 1994 के संशोधन से पहले के मामलों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन से पहले बीमाकर्ता माल वाहन में यात्रा करने वाले माल के मालिक की मृत्यु या चोटों के कारण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। संशोधन के बाद, बीमाकर्ता के लिए माल वाहन में यात्रा करते समय माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का बीमा करना अनिवार्य कर दिया गया था।

(पैरा 10) ने आगे कहा कि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार

मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर और अन्य, **2004**

(2) एस. सी. सी. **1,** आशा रानी के मामले (ऊपर) पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

‘‘अतः यह स्पष्ट है कि संशोधन के बावजूद

1994 की धारा 147 में निहित प्रावधान का प्रभाव माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में समान रहता है। हालांकि माल के मालिक या उनके लेखक प्रतिनिधि को अब एक अच्छे वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा, लेकिन यह ।

यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान करने के लिए विधायिका का इरादा, विशेष रूप से निः शुल्क यात्री, जिनके बारे में न तो बीमा का अनुबंध किए जाने के समय विचार किया गया था, और न ही किसी भी प्रीमियम का भुगतान किया गया था

वर्ग श्रेणी के लोगों के लिए बीमा।"

(पैरा 11) ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 147 के संशोधन के बाद बीमा कंपनी परिवहन वाहन में माल के साथ यात्रा करने वाले माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मृत्यु या चोटों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।(पैरा 13)

राहुल पठानिया, अधिवक्ता

आशीष गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

विपुल, नितिन मित्तल के लिए अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के लिए अधिवक्ता संख्या 1 से 4।

बृजेंद्र सिंह, अधिवक्ता अर्जुन अत्री, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिवक्ता।

सतपाल धमीजा, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए अधिवक्ता।

अवनीश जिंगान जे. ओरल

(1) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अंबाला (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 19.04.2016 के पुरस्कार पर पंजीकरण संख्या वाले ट्रक के मालिक द्वारा हमला किया गया है। एच. आर.-69 ए-7560 (संक्षेप में 'उल्लंघन करने वाला वाहन') मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत दावेदारों को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से पीड़ित है।

(2) रिकॉर्ड से सामने आने वाले तथ्य यह हैं कि आईडी1 की दरम्यानी रात नरेंदर अन्य किसानों के साथ बद्दी से लुधियाना जा रहा था। आम बेचने के लिए एचआर-69 ए-7560 (संक्षेप में 'आपत्तिजनक वाहन')। नरेंदर अपराध करने वाले वाहन में भरे हुए सामान के साथ बैठा था। अपराध करने वाले वाहन को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था,

जिसके परिणामस्वरूप, चालक अपराध करने वाले वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका, यह वाहन कछुआ बन गया और सभी सवारों को कई गंभीर चोटें आईं।

नरेंदर ने दम तोड़ दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

(3) अधिनियम की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की गई थी। न्यायाधिकरण ने तथ्यों पर विचार करने और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सराहना करने के बाद कहा कि दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी।उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।बीमा कंपनी को इस आधार पर मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था कि मृतक आपत्तिजनक वाहन में अनावश्यक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था।

(4) वर्तमान अपील में उठाई गई शिकायत यह है कि मृतक माल का मालिक था और उल्लंघन करने वाले वाहन में अपने सामान के साथ यात्रा कर रहा था।यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण ने इस आधार पर उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक पर दायित्व तय करने में गलती की कि मृतक उल्लंघन करने वाले वाहन में अनावश्यक यात्री था।

(5) भुगतान करने के दायित्व के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अस्थिर हैं।यह रिकॉर्ड में आया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन आम के डिब्बों से भरा हुआ था और नरेंदर-मृतक डिब्बों का मालिक या प्रतिनिधि था और लुधियाना में आम बेचने जा रहा था।न्यायाधिकरण निर्णय पारित करते समय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि मृतक आपत्तिजनक वाहन में एक अनावश्यक यात्री के रूप में यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि वह माल के मालिक या प्रतिनिधि के रूप में यात्रा कर रहा था।

(6) यह तथ्य कि मृतक वाहन में ले जाए जा रहे सामान का मालिक या प्रतिनिधि था, पीडब्लू-2 उपनाम के बयान से जब्त हो जाता है, जिसने न्यायाधिकरण के समक्ष बयान दिया कि मृतक अपने और अन्य लोगों के साथ आम बेचने के लिए लुधियाना मंडी जा रहा था।(7) इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कि क्या बीमाकर्ता माल के मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु या चोटों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अधिनियम की धारा 147 में संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए।संशोधन से पहले और बाद में इस धारा को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 इसके संशोधन से पहले इस प्रकार हैः

'147.नीतियों की आवश्यकताएँ और दायित्व की सीमाएँ।-(1) इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो -

(क) एक व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो एक अधिकृत बीमाकर्ता है; और 674

(बी) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करता है -

((i) सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में उसके द्वारा वहन किए जाने वाले किसी भी दायित्व के विरुद्ध;

((ख) सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उसके कारण सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफ;

बशर्ते कि किसी नीति की आवश्यकता नहीं होगी -

(1) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा, पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी की मृत्यु से और उसके रोजगार के दौरान या उसके रोजगार के दौरान हुई शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए, और ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में।

(2) वाहन चलाने में लगे हुए, या

(ख) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है जो वाहन के संचालक के रूप में या वाहन पर टिकट की जांच करने में लगा हुआ है, या

(ग) यदि यह एक माल गाड़ी है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या (ii) किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए। स्पष्टीकरण। - संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हुआ माना जाएगा, इसके बावजूद कि जो व्यक्ति मृत या घायल है या जो संपत्ति क्षतिग्रस्त है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई वह सार्वजनिक स्थान पर हुई थी।

(2)उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पॉलिसी, निम्नलिखित सीमाओं तक किसी भी दुर्घटना के संबंध में किए गए किसी भी दायित्व को कवर करेगी, अर्थात्:-

(क) खंड (ख) में दिए गए प्रावधान के अलावा, वहन की गई देयता की राशि; राकेश कुमार बनाम पिंकी और अन्य

(ख) किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान के संबंध में, छह हजार रुपये की सीमा; बशर्ते कि किसी भी सीमित दायित्व के साथ जारी की गई और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू बीमा की कोई भी पॉलिसी, ऐसी शुरुआत के बाद चार महीने की अवधि के लिए या ऐसी पॉलिसी की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, प्रभावी बनी रहेगी।

(3)इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई पॉलिसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के

पक्ष में, जिसके द्वारा पॉलिसी लागू की जाती है, निर्धारित प्रपत्र में बीमा का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है और जिसमें किसी भी शर्त के निर्धारित विवरण होते हैं जिसके अधीन पॉलिसी जारी की जाती है और किसी अन्य निर्धारित मामले के; और विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रपत्र, विवरण और मामले निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4)जहां इस अध्याय या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत बीमाकर्ता द्वारा जारी कवर नोट का निर्धारित समय के भीतर बीमा पॉलिसी द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो बीमाकर्ता, कवर नोट की वैधता की अवधि समाप्त होने के सात दिनों के भीतर, उस पंजीकरण प्राधिकरण को तथ्य सूचित करेगा जिसके रिकॉर्ड में वह वाहन पंजीकृत किया गया है जिससे कवर नोट संबंधित है या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

(6)तत्काल लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस धारा के तहत बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता किसी भी दायित्व के संबंध में पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे पॉलिसी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के उन वर्गों के मामले में कवर करने का इरादा रखती है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 147 इस प्रकार हैः

'147.नीतियों की आवश्यकताएँ और दायित्व की सीमाएँ।- (1) इस अध्याय की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो -

(ए)।

(बी) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करता है।

(i) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा वहन किए जाने वाले किसी भी दायित्व के खिलाफ, जिसमें माल का मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि या उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान शामिल है।

सार्वजनिक स्थान पर वाहन का; (ii) '।

XXXX XXXX (जोर दिया गया)

(8) धारा 147 (1) (बी) (आई) में 'किसी भी व्यक्ति' के बजाय 'माल के मालिक या वाहन में ले जाए गए अधिकृत प्रतिनिधि सहित' शब्द जोड़ा गया था।

(9) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी के मामले में उच्चतम न्यायालय

लिमिटेड बनाम आशा रानी 1; जहां अधिनियम की धारा 147 में 1994 के संशोधन के प्रभाव पर विचार करने और

पहले के निर्णय पर विचार करने के बाद

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम सत पाल सिंह 2 में निर्णय, यह अभिनिर्धारित किया गया

इसके अंतर्गतः-

‘‘सतपाल के मामले में (ऊपर) न्यायालय ने मान लिया कि

मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 95 (1) के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147 (1) के समान हैं, जैसा कि इसके संशोधन से पहले था। लेकिन प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 1994 के संशोधन से पहले बीमाकर्ता के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माल के मालिक को माल वाहन में ले जाने के खिलाफ बीमा कराना आवश्यक नहीं था।एक गलत धारणा पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बीमाकर्ता माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जब उसे माल वाहन में ले जाया जा रहा था।यदि 1994 के मोटर वाहन संशोधित अधिनियम की जांच की जाती है, विशेष रूप से 1991 के अधिनियम 6 की धारा 46, जिसके द्वारा मूल अधिनियम में 'किसी व्यक्ति को चोट' अभिव्यक्ति को 'माल के मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी भी व्यक्ति को चोट' अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो निष्कर्ष यह है कि 1994 के उपरोक्त संशोधन अधिनियम से पहले, भले ही 'किसी भी व्यक्ति को' अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या की गई हो, यह माल के मालिक या उसके 2003 ए. आई. आर. (एस. सी.) 607 को शामिल नहीं करेगा।

अधिकृत प्रतिनिधि को वाहन में ले जाया जा रहा है। खंड 46 के उद्देश्यों और कारणों में यह भी कहा गया है कि यह बीमा पॉलिसी के तहत देयता के उद्देश्यों के लिए माल के मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए धारा 147 में संशोधन करना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी विधायिका कानून में अंतर्निहित स्थिति के विस्तार और स्पष्टीकरण के माध्यम से कानून में संशोधन करती है, जो कानून में है, लेकिन कानून में उपयोग किए गए शब्दों को एक स्पष्ट अर्थ दिया जा रहा है, जैसा कि यह 1994 के संशोधन से पहले था, और जैसा कि यह 1994 में इसके संशोधन के बाद है और पहले निर्दिष्ट संशोधित प्रावधानों में उत्कीर्ण उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह अर्थ लगाना मुश्किल है कि 'माल के मालिक या वाहन में ले जाए गए उनके अधिकृत प्रतिनिधि सहित' अभिव्यक्ति जो पहले से मौजूद अभिव्यक्ति 'किसी भी व्यक्ति को चोट' में जोड़ी गई थी, या तो स्पष्ट करने वाली है या पहले से मौजूद क़ानून का विस्तार है। दूसरी ओर यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधायिका धारा 147 के दायरे में लाना चाहती है और बीमाकर्ता के लिए माल वाहन के मामले में भी बीमा करना अनिवार्य बनाना चाहती है, माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को माल वाहन में ले जाया जा रहा है जब वह वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है और माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि की या तो मृत्यु हो जाती है या उन्हें शारीरिक चोट लगती है।इसलिए यह माना

जाना चाहिए कि सतपाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले का सही निर्णय नहीं लिया गया है और तदनुसार न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इन अपीलों की अनुमति दी जाती है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बीमाकर्ता माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को माल वाहन में ले जाने पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब वह वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है और माल का मालिक या

उसके प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है या उसे कोई शारीरिक चोट लगती है।"

X XXXXXXXX (जोर दिया गया)

(10) 1994 के संशोधन से पहले के मामलों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन से पहले बीमाकर्ता माल वाहन में यात्रा करने वाले माल के मालिक की मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। संशोधन के बाद बीमाकर्ता के लिए के मालिक का बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया था

माल वाहन में यात्रा करते समय माल या उसका अधिकृत प्रतिनिधि।

(11) मेसर्स नेशनल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बालजीत कौर और अन्य 3, आशा पर विचार करते हुए

रानी का मामला (ऊपर) निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

"अतः यह स्पष्ट है कि संशोधन के बावजूद

1994, माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में धारा 147 में निहित प्रावधान का प्रभाव समान रहता है।यद्यपि माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अब एक अच्छे वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा, लेकिन यात्रियों, विशेष रूप से निः शुल्क यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान करना विधायिका का इरादा नहीं था, जिन्हें न तो बीमा का अनुबंध किए जाने के समय पर विचार किया गया था, और न ही किसी भी प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

वर्ग श्रेणी के लोगों को बीमा का लाभ।"

(12) राष्ट्रीय बीमा कंपनी में इस न्यायालय की एक खंड पीठ।

लिमिटेड बनाम राम चंदर और अन्य 4, निम्नलिखित आशा रानी की

मामला (ऊपर) और बलजीत कौर का मामला (ऊपर) निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः-

‘‘हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

एकमात्र प्रश्न जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या दावेदार निः शुल्क यात्री थे ताकि बीमित व्यक्ति को पॉलिसी के दायरे से बाहर रखा जा सके क्योंकि यह उसकी शर्त का उल्लंघन है। धारा 147 (1) के संशोधित प्रावधानों के प्रावधानों के आलोक में दावेदारों की स्थिति के तथ्य को स्थापित करने के लिए, हमने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही देने वाले गवाहों की जिरह के विशिष्ट संदर्भ के साथ साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।दावेदार, जिनके मामले उपरोक्त अपीलों का विषय थे, वे व्यक्ति थे जो मेले में ले जाने के लिए अपने सामान के साथ थे। पीडब्लू2, पीडब्लू5, पीडब्लू6, पीडब्लू7, पीडब्लू11 और पीडब्लू12 ने गवाही दी थी कि चारा, जूते, लकड़ी के तख्ते और मवेशियों के चारे के थैले वे सामान थे जिन्हें उल्लंघन करने वाले वाहन में दावेदारों के साथ ले जाया जा रहा था। वे कर सकते हैं,

इसलिए, अनावश्यक यात्री न बनें ताकि बीमा कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त किया जा सके क्योंकि वे सभी दुर्घटना के समय वाहन में यात्रा करने वाले माल के मालिक थे।

उपरोक्त विचार आशा रानी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था और देवीरेड्डी कोंडा रेड्डी के मामले (ऊपर) में और बाद में फिर से बलजीत कौर के मामले (ऊपर) में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसका पालन किया गया था।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 में किए गए संशोधन के प्रभाव पर विचार करते हुए यह राय दी गई:

‘‘1994 के संशोधन के कारणों से क्या जोड़ा गया था

जिसमें माल का मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हैं। इस प्रकार, उपरोक्त संशोधन के कारण वाहन का अनिवार्य रूप से बीमा कराने के लिए वाहन के मालिक के दायित्व में तीसरे पक्ष के अलावा केवल माल का मालिक या वाहन में ले जाया गया उसका अधिकृत प्रतिनिधि शामिल था।इसलिए, संसद का इरादा यह नहीं हो सकता था कि धारा 147 में आने वाले शब्द उन सभी व्यक्तियों को शामिल करेंगे जो किसी भी क्षमता में माल गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यदि ऐसा इरादा था तो संसद को संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (आई) में निहित 'कोई भी व्यक्ति' अभिव्यक्ति में माल का मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होता। आशा रानी (ऊपर) मामले में अदालत द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियाँ, जिसमें हममें से एक, सिन्हा, जे., एक पक्षकार थे, हालाँकि, दोहराती हैं:

'(26) 1988 के अधिनियम और 1939 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 'किसी भी व्यक्ति' शब्दों के अर्थ को उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी माना जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है, यानी 'तीसरे पक्ष'। 1988 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी ।

यह राय कि चूंकि इसके प्रावधान माल वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने के लिए वाहन के मालिक पर किसी भी वैधानिक दायित्व का आदेश नहीं देते हैं, इसलिए बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होंगे।

आशा रानी (ऊपर) में, यह देखा गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (आई) में किसी वाहन के मालिक द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के संबंध में किए जाने वाले दायित्व की बात की गई है।इसके अलावा, यात्री ले जाने वाले वाहन के मालिक को वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों के जोखिमों को कवर करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 1994 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम केवल तीसरे पक्ष के साथ-साथ अपने अधिकृत प्रतिनिधि के लिए माल के मालिक को भी कवर करेगा और माल वाहन में ले जाए जाने वाले किसी भी यात्री को, चाहे वह किराए पर लिया गया हो या इनाम के लिए या अन्यथा।

अतः यह स्पष्ट है कि 1994 के संशोधन के बावजूद, माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में धारा 147 में निहित प्रावधान का प्रभाव समान रहता है। यद्यपि माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को माल वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन यात्रियों, विशेष रूप से निः शुल्क यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान करना विधायिका का इरादा नहीं था, जिन्हें बीमा का अनुबंध किए जाने के समय न तो विचार किया गया था और न ही किसी प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

वर्ग श्रेणी के लोगों के लिए बीमा।"

इसी विचार को आगे प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम मुश्तारी बेगम (2005-3) 141 पी. एल. आर. 540 (एस. सी.) में दोहराया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 147 के प्रावधानों को विच्छेदित करके की गई टिप्पणियों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि उक्त धारा में आने वाले 'कोई भी व्यक्ति' शब्द उन सभी व्यक्तियों को शामिल नहीं करेंगे जो किसी भी क्षमता में माल गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से इसमें माल का मालिक या उसका राकेश कुमार बनाम पिंकी और अन्य शामिल होंगे।

अधिकृत प्रतिनिधि। जैसा कि ऊपर देखा गया है, साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करता है कि दावेदार अपना माल उल्लंघन करने वाले वाहन में ले जा रहे थे और इस प्रकार, संशोधन के तहत शामिल थे और इसलिए अपीलार्थी संतुष्ट करने के दायित्व से बच नहीं सकता है।

वनाच्छादित अपीलों में दावेदारों को पुरस्कार दिया जाता है।"

(13) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 147 के संशोधन के बाद बीमा कंपनी माल के मालिक या परिवहन वाहन में माल के साथ यात्रा करने वाले उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मृत्यु या चोटों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।(14) मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में 19.04.2016 दिनांकित पुरस्कार को इस प्रभाव से संशोधित किया गया है कि उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक, चालक और बीमाकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(15) अपील की अनुमति है।

डॉ. सुमती जुंद

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला रहेजा

अनुवादक